एस0सी0 / एस0टी0–132 / 2018

पिपरा थाना कांड संख्या– 121 / 2018

दिनांक 17.11.2018

अभियुक्त नवीन मंडल ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर जमानत आवेदन दाखिल किये है जिसे प्रचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थी निर्दोष है, उन्होने कोई अपराध नही किया है, वर्तमान मुकदमा का पलटा मुकदमा भी प्रार्थी सुरेन्द्र मंडल के द्वारा पिपरा थाना काण्ड सं0 122 / 18 दर्ज किया गया है, मुकदमा में लगाये गये आरोप गलत है, प्रार्थी के विरूद्ध लगाये आरोप में धारा 379 भा0द0वि0 एवं एस0सी0 / एस0टी0 का कोई विशिष्ट आरोप नहीं है तथा यह आरोप मुकदमा को गंभीर बनाने के लिए लगाया गया है, प्रार्थी एवं इस वाद के सह अभियुक्त रमण मंडल के विरूद्ध गाड़ी के डिक्की को तोड़कर दस हजार रूपया निकालने का आरोप है तथा इस वाद के अन्य सह अभियुक्त को जमानत दिया जा चुका है, प्रार्थी के विरूद्ध लगाया गया अन्य सभी आरोप साधारण प्रकृति का है, प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नही है, न्ययालय का हर शर्त मानने को तैयार है। अतः जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि अपराध की प्रकृति को देखते हुए अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करना न्यायोंचित नही है।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तूत वाद सूचक रविन्द्र कुमार पासवान के लिखित आवेदन के आधार पर प्रार्थीगण सहीत कुल 05 अभियुक्तों के विरूद्ध धारा– 341, 323, 379, 504, 506 भा0द0वि0 एवं धारा 3(i)(r)(s) एस0सी0 / एस0टी0 एक्ट के अन्तर्गत पिपरा थाना कांड संख्या– 121 / 18 दर्ज किया गया है। जिसमे सूचक का कहना है कि दिनांक 10.06.2018 को दिन के लगभग 11 बजे ग्राम पंचायत के विभिन्न योजनाओं के जांच हेतु जिला से जिला पदाधिकारी आये हुए थे। जिस कम में सूचक के वार्ड का भी जांच होना था। तब सूचक को मालूम हुआ कि जिला से आये जांच पदाधिकारी वार्ड नं0 9 में तिलावे धार गये वहां पहले से मौजूद अभियुक्तगण में विष्णु देव मंडल कहने लगा साले दूसाध को मारो यह मुखिया का दलाल है। जब तक सूचक मोटर साइकिल से उतरते तबतक सभी लोग गाली गलोज करते हुए लाठी फट्ठा से मारने लगा और मोटरसाइकिल को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। मोटर साइकिल के डिक्की को तोड़कर नवीन मंडल एवं रमण मंडल डिक्की में रखा 10,000 / – रूपया दो बैंक पास बुक एक योजना संबंधित सभी कागजात मुहर भी लुट लिया। ग्रामीणों के जूटने पर एवं पुसिल के पहुॅचने के कारण सूचक का जान बचां उसके बाद सूचक पिपरा अस्पताल आकर अपना ईलाज करवाये और थाना में लिखित आवेदन दिये।

सूचक के लिखित आवेदन से प्रतीत होता है कि अभियुक्त के विरूद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं है तथा धारा 379 भा0द0वि0 का आरोप अभियुक्त नवीन मंडल और सह अभियुक्त रमण मंडल के विरूद्ध है परंतु किसने क्या लिया ये स्पष्ट नहीं है। इस वाद के अन्य सह

अभियुक्त को पूर्व में जमानत दिया जा चुका है तथा प्रार्थी का वाद भी समानतल पर है। अभियोजन का कहना सही प्रतित होता है कि गाली गलोज करने का आरोप विष्णु देव मंडल के विरूद्ध है परंतु उसी दिन के घटना को लेकर अभियुक्त सुरेन्द्र मंडल ने इस वाद के सूचक रविन्द्र पासवान वगैरह के विरूद्ध भी पलटा मुकदमा पिपरा थाना काण्ड सं0 122/18 दर्ज करवाया है। प्राथमिकी एक दिन विलंब से दर्ज कराया गया है और इस विलंब का कोई संतोषप्रद जबाव अभियोजन की ओर से नहीं दिया गया है तथा अभियुक्तगण स्वतः ही न्यायालय में आत्मसमर्पण किए है। फलस्वरूप उपरोक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों के मद्देनजर प्रार्थी को जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित समझता हूँ। तदनुसार प्रार्थी की और दाखिल जमानत आवेदन न्यायहीत में स्वीकृत किया जाता है। अतः प्रार्थी की और से मो0 20,000/– रूपये के व्यक्तिगत एवं सामान राशि के दो–दो प्रतिभूओं के साथ बंध–पत्र दाखिल करने पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है तथा शपथ पत्र दाखिल करेंगे कि प्रत्येक तिथि को न्यायालय में उचित पैरवी करेंगे तथा न्यायालय के आदेश पर सदैह उपस्थित रहेंगे तथा लगातार दो तिथि अनुपस्थित रहने पर विद्वान न्यायालय बंध–पत्र रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा तथा वाद के अनुसंधान वो त्वरित निस्तारण में सहयोग करेगें। किसी भी साक्षियों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करेंगे तथा मेरा कोई अपराधिक इतिहास नहीं है।

अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
सुपौल